

## प्रेस रिलीज़

नई दिल्ली

25 दिसंबर 2019

### एनपीआर, एनआरसी का पहला कदम, करें रद्द: पॉपुलर फ्रंट

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव एम. मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर किया गया राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर (एनपीआर), राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की तैयारी के पहले कदम के सिवा कुछ नहीं।

केंद्र सरकार यह नहीं कहती कि एनपीआर देश के हर आम बाशिंदे की मुकम्मल पहचान का एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस में आबादी से जुड़ी जानकारियों के साथ-साथ हर एक व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारियां भी जमा करने की बात की गई है, इसलिए इसमें हर तरह की जानकारियां जमा की जाएंगी, इस तरह यह आम जनगणना से पूरी तरह से अलग है। नवंबर 2014 में राज्यसभा के अंदर राज्य मंत्री किरण रिजिजू के जवाब और केंद्रीय गृह मंत्रालय की 2017-18 और 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि एनपीआर, एनआरसी का ही पहला कदम है। एनपीआर का 1948 के जनगणना एक्ट के अनुसार की जाने वाली आम जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। सेंसस रजिस्ट्रार की ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर भी एनआरसी की बात नज़र आती है। यह तमाम बातें एनपीआर की तैयारी के पीछे के असल एजेंडे विवादित एनआरसी को लागू करने का पता देती हैं। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ देशभर में हो रहे प्रदर्शनों के बीच एनपीआर के बड़ी जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले के पीछे कुछ तो गड़बड़ है। मोहम्मद अली जिन्ना ने केंद्र सरकार से एनपीआर के फैसले को वापस लेने और देश के तमाम नागरिकों से इस प्रक्रिया को रद्द करने की अपील की।

डॉ. मोहम्मद शमून

डायरेक्टर, मीडिया एवं जनसंपर्क

मुख्यालय, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया

नई दिल्ली